



BY SPEED POST

MNG-01/Admn/RTI-Corres/05-11/591
September 25, 2023

To
Shri Sudarshan Joshi
Village: Naul
Post Office: Naukuchiatal
Nanital District – 263136
Uttarakhand.
Mob: 7300709748

Sub:- Information under RTI Act; 2005 – Information sought - Reg.

Sir,

This is with reference to your RTI application cited above, requested MANAGE to provide information under RTI Act, 2005. The information sought is furnished pointwise in the enclosed **ANNEXURE** for your information.

If the applicant is not satisfied with the information, you may file an appeal to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply of CPIO. The name, designation and complete address of the First Appellate Authority of this Institute is as under:-

Dr. P. Chandra Shekara

Director General

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE),

Rajendranagar, HYDERABAD – 500 030 (TS)

Ph: 040-24015253 (O), Fax: 040-24015388

Email: dgmanage@manage.gov.in

Yours sincerely,

Central Public Information Officer (CPIO)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. तेलंगाना, भारत.)

NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (MANAGE)

(An Autonomous Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India)

Rajendranagar, Hyderabad - 500 030. T.S. INDIA

Telephone : +91 (040) 24594509

Fax : +91 (040) 24015388; Web : manage.gov.in

दिनांक: 20/09/2023

सेवा में,

निदेशक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)

मैनेज-हैदराबाद

संदर्भ: दिनांक 20 सितंबर, 2023 के MNG-01/Admn/RTI-Corres/05-11/591

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में।

क्र.सं	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध कराई गई जानकारी
1.	बिन्दु 1: सी बैड संस्था देहरादून को जिन नियमों के आधार पर एग्री क्लिनिक एण्ड एग्री विसनस सेंटर प्रशिक्षण का कार्य दिया गया है वह नियम बताने की कृपा करें।	<ul style="list-style-type: none">मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है क्योंकि सी बैड संस्था, देहरादून ए. सी. एवं ए. बी. सी. योजना के तहत नामित नहीं है।
2.	बिंदु 2: सी बैड संस्था देहरादून द्वारा ए. सी. एण्ड ए. बी. सी. प्रशिक्षण कार्य करवाने हेतु मैनेज, हैदराबाद को उपलब्ध करवाए गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने की कृपा करें।	<ul style="list-style-type: none">मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है क्योंकि सी बैड संस्था, देहरादून ए. सी. एवं ए. बी. सी. योजना के तहत नामित नहीं है।
3	बिंदु 3 : सी बैड संस्था देहरादून द्वारा करवाए गए सभी ए. सी. एण्ड ए. बी. सी. प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित कर उपलब्ध करवाने की कृपा करें।	<ul style="list-style-type: none">मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है क्योंकि सी बैड संस्था, देहरादून ए. सी. एवं ए. बी. सी. योजना के तहत नामित नहीं है।
4	बिंदु 4: सी बैड संस्था देहरादून द्वारा करवाए गए सभी ए. सी. एवं ए. बी. सी. कार्यक्रमों पर खर्च हुए सरकारी धन की प्रथक प्रथक जानकारीयां उपलब्ध करवाने की कृपा करें।	<ul style="list-style-type: none">मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है क्योंकि सी बैड संस्था, देहरादून ए. सी. एवं ए. बी. सी. योजना के तहत नामित नहीं है।
5	बिंदु 5: सी बैड संस्था देहरादून द्वारा करवाए गए अलग-अलग ए. सी. एण्ड ए. बी. सी. प्रशिक्षण में शामिल समस्त प्रशिक्षण लेने वाले लोगों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाने की कृपा करें।	<ul style="list-style-type: none">मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है क्योंकि सी बैड संस्था, देहरादून ए. सी. एवं ए. बी. सी. योजना के तहत नामित नहीं है।
6	बिंदु 6: ए. सी. एण्ड ए. बी. सी. प्रशिक्षण करवाने हेतु नोडल संस्था के मापदंड बताने की कृपा करें।	<ul style="list-style-type: none">ए. सी. और ए. बी. सी. योजना पर विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं <p>https://www.agriclinics.net/ACAB/CGuidelines2018.pdf</p>
	बिंदु 7: नोडल संस्था ए. सी. एण्ड ए. बी. सी. प्रशिक्षण कार्य 2 से 3	



	वर्ष पूर्व स्थापित संस्थान से करवा सकता हैं तो कृपया उस नियम की जानकारी देने की कृपा करें।	<ul style="list-style-type: none"> ए. सी और ए. बी. सी. योजना पर विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं https://www.agriclinics.net/ACABCGuidelines2018.pdf खण्ड संख्या 4.1
8	बिन्दु 8: ए. सी. एण्ड ए. बी. सी. प्रशिक्षण लेने वाले प्रति व्यक्ति पर प्रति दिन एवं पूर्ण प्रशिक्षण पर व्यय होने वाले सरकारी धन की जानकारी देने की कृपा करें।	<ul style="list-style-type: none"> दिन-प्रतिदिन का विवरण ए. सी. और ए. बी. सी. योजना के तहत लागत मानदंड के अनुसार प्रति उम्मीदवार व्यय ऑनलाइन उपलब्ध है: लिंक: https://www.agriclinics.net/GCDocuments/45.pdf
9	बिंदु 9: किसी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जो कि कृषि एवं बागवानी विषय के हों, ए. सी. एण्ड ए. बी. सी. का प्रशिक्षण ले सकते है तो जानकारी देने की कृपा करें।	<ul style="list-style-type: none"> "पात्रता मानदंड" पर परिचालन दिशानिर्देश का विवरण नीचे उल्लिखित खंड में उपलब्ध है: खंड संख्या 3.1 से 3.6 <p>https://www.agriclinics.net/ACABCGuidelines2018.pdf</p>

(शाहजी फंद)

Shahji

